

केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के संबंध में विवरण

वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16

किसी भी कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य, सरकारी खर्चों को वित्तपोषित करने के लिए राजस्व जुटाना होता है। जुटाए गए राजस्व की राशि मुख्यतः सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर होती है। इन दो कारकों का पता विभिन्न उपायों- विशेष कर दरों, छूटों, कटौतियों, रियायतों, आस्थगनों और क्रेडिटों से चलता है। इन उपायों को समेकित रूप से कर कर प्रोत्साहन या "कर वरीयता" कहा जाता है। इनका सरकारी राजस्व पर प्रभाव होता है और ये सरकार की महत्वपूर्ण नीति को परिलक्षित करते हैं।

कर नीति विशेष कर प्रोत्साहनों का प्रावधान करती है जिससे कर वरीयता में बढ़ोतरी होती है। इन कर वरीयता परक उपायों का राजस्व पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है तथा इन्हें वरीयता परक करदाताओं को दी जाने वाली अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में देखा जा सकता है। इन्हें 'कर व्यय' भी कहा जाता है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि कर नीति न केवल कारगर बल्कि पारदर्शी भी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कार्यक्रम आयोजना जिसमें राजस्व पर प्रभाव डालने वाले प्रोत्साहनों का प्रयोग करके विशिष्ट नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करना अपेक्षित होता है, उसे सुस्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए और बजट निर्माण कार्यक्रम में ऐसे अप्रत्यक्ष परिव्ययों (या राजस्व प्रभाव) को उनके सम्बन्धित कार्यक्रम शीर्षों के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता है। राजस्व पर किसी भी रूप में प्रभाव डालने वाले कर प्रोत्साहन अपने आप में कर संविधि में सन्निहित व्यय संबंधी कार्यक्रम हैं।

यह वर्तमान विवरण केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत उपलब्ध कर प्रोत्साहनों के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का एक विश्लेषण है। कर प्रोत्साहनों के ऐसे राजस्व प्रभाव को पहली-बार संसद के समक्ष बजट 2006-07 के दौरान प्राप्ति बजट 2006-07 के अनुबंध-12 के रूप में परित्यक्त राजस्व का विवरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसका सभी ने स्वागत किया और इससे राजकोषीय नीति से सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक परिचर्चा सम्भव हो पायी। इससे सरकार की कर नीति और कर व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के इरादे पर भी विश्वसनीयता की मुहर लगी। इस विवरण के दूसरे संस्करण को बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के माध्यम से तथा "परित्यक्त राजस्व का विवरण" नामक एक पृथक बजट प्रलेख के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इसे बजट 2008-09, से 2014-15 के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 2015-16 तथा वर्तमान वर्ष में इसे "केन्द्रीय कर सिस्टम के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण" के रूप में अधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित किया गया है क्योंकि जोकि वास्तविक रूप में विश्लेषित किया जा रहा है, राजस्व प्रभाव है।

पहले की भांति यह दस्तावेज उन कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करता है जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का हिस्सा है। ऐसे कर प्रोत्साहनों के कारण राजस्व प्रभाव का अनुमान अधिकांश "कर अधिमानताओं" के संबंध में किया गया है। यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए है और यही सब से हाल का वर्ष है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। फिर भी, वित्तीय वर्ष 2014-15 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए एक प्रयास किया गया है।

कर व्ययों का अनुमान निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर किया गया है:

(क) अनुमानों और पूर्वानुमानों का आशय उन संभावित राजस्व प्राप्तियों को दर्शाना है जो छूटों, कटौतियों, भारत कटौतियों और इसी प्रकार के उपायों को हटा कर उगाहे जा सकेंगे। ये अनुमान अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। वे इस मान्यता पर तैयार किये जाते हैं कि इन उपायों को हटाने से अन्तर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। जिस सीमा तक आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार, समग्र आर्थिक क्रियाकलाप और अन्य सरकारी नीतियों में विशिष्ट कर वरीयता के निरसन के साथ बदलाव आ सकता है उसी सीमा तक राजस्व फलितार्थ भिन्न हो सकते हैं।

(ख) प्रत्येक कर रियायत के प्रभाव का निर्धारण, यह मानते हुए कि अन्य सभी कर उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे, पृथक रूप से किया जाता है। तथापि अनेक कर रियायतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अतः, कर प्रोत्साहनों की अन्योन्य क्रिया मिश्रित प्रभाव प्रत्येक प्रावधान के लिए अनुमानों और पूर्वानुमानों को जोड़ कर परिकलित राजस्व प्रभाव से भिन्न हो सकता है।

हालांकि राजस्व प्रभाव की मात्रा को कर व्यय के संदर्भ में बताया गया है किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राजस्व की इस मात्रा को सरकार द्वारा छोड़ दिया गया है। इसके बजाय इन्हें कतिपय क्षेत्रों को बढ़ावा देने हेतु लक्षित व्यय के रूप में देखा जा सकता है। कुछेक मामलों में कर व्यय के माध्यम से ऐसी अप्रत्यक्ष सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप ऐसे प्रोत्साहनों के न मिलने पर संभवतः नहीं हो पाते या इतने बड़े स्तर पर नहीं हो पाते। विभिन्न कर प्रोत्साहनों की कारण कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई धारणाओं और पद्धतियों का उल्लेख इस विवरण के संबंधित भाग में किया गया है।

प्रत्यक्ष कर

आय कर अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ निर्यातों; संतुलित क्षेत्रीय विकास; आधारभूत ढांचागत सुविधाओं की स्थापना; रोजगार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; तथा सहकारी क्षेत्र तथा व्यक्तियों द्वारा बचत और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है। पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में, त्वरित मूल्यहास की भी व्यवस्था की जाती

हैं। इन कर लाभों में से अधिकांश का फायदा कम्पनी और गैर-कम्पनी करदाताओं दोनों द्वारा उठाया जा सकता है। इस विवरण में उपर्युक्त क्षेत्रों नामतः (क) कंपनियों; (ख) फर्मों, व्यक्तियों के संघ, व्यष्टियों के निकाय आदि तथा; (ग) व्यष्टियों एवं अविभाजित हिन्दू परिवारों के लिए पृथक रूप से कर प्रोत्साहनों का राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। धर्मार्थ या सामाजिक प्रयोजन की गतिविधियों में संलिप्त संस्थाओं का ब्यौरा भी भाग (घ) में दिया गया है। शीर्ष जिनके अंतर्गत राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है, वे मोटे तौर पर कंपनियों एवं फर्मों आदि दोनों के लिए समान हैं। तथापि, व्यष्टियों के मामले में, कतिपय अन्य शीर्षों को भी सम्मिलित किया गया है क्योंकि ये उनसे ही संबंधित हैं। कॉरपोरेट क्षेत्र हेतु विवरण अलग-अलग लाभ के स्लैबों में कंपनियों हेतु प्रभावी कर दरों के फैलाव का भी विश्लेषण करते हैं। प्रभावी कर दरों का क्षेत्रवार विश्लेषण करने का भी प्रयास किया गया है।

क. कारपोरेट सेक्टर

बड़े कारोबार मुख्यतः कम्पनियों के रूप में संगठित हैं। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2014-15 (अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2015-16) के लिए 30 नवम्बर, 2015 तक 582,889 कम्पनियों से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत आयकर विवरणियां प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक कंपनी द्वारा अपनी विवरणी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल करना अपेक्षित होता है। ये विवरणियां वित्त वर्ष 2015-16 में अनुमानित की गई कुल कंपनी विवरणियों का लगभग 90% बैठती हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर इन कम्पनियों से वित्त वर्ष 2014-15 में उनकी आय पर 2,98,2005 करोड़ रूपए (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित) का कम्पनी कर देय है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान लाभांश वितरण कर के रूप में 32,262.95 करोड़ रूपए संदेय है।

कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए इन 5,82,889 कम्पनियों¹ के आंकड़ों को विश्लेषण हेतु डाटाबेस से हटा दिया गया था तथा इनका ब्यौरा इस विवरण के परिशिष्ट तथा सारणी 1 से 5 तक में दिया गया है। सारणी-1 में इन कम्पनियों के मुनाफों की सीमाओं की जानकारी दी गई है। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए हैं:

- 310730 कम्पनियों (53.31 प्रतिशत) ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कर देने से पहले 9,29,941 करोड़ रूपये का लाभ तथा 1208,658 करोड़ रूपये की कुल आय (कर योग्य आय)² की जानकारी दी है।
- 2,54,079 कम्पनियों (43.59 प्रतिशत) ने 1,76,006 करोड़ रूपये के नुकसान होने की सूचना दी है।
- 18080 कम्पनियों (3.10 प्रतिशत) ने शून्य लाभ की जानकारी दी है।

इन सम्पूर्ण नमूना आंकड़ों की प्रभावी कर दर³ 24.67 प्रतिशत⁴ थी (जबकि 2013-14 में यह दर 23.22 प्रतिशत सूचित की गई थी) जबकि सांविधिक कर दर 10 करोड़ तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 32.445 प्रतिशत तथा 10 करोड़ रु. से अधिक आय वाली कंपनियों के मामले में 33.99 प्रतिशत थी जिसके फलस्वरूप औसत सांविधिक दर 33.84⁵ प्रतिशत⁵ थी। कम्पनियां, जिनका कर से पहले लाभ (जिसे इसके बाद पीबीटी के रूप में कहा जाएगा), 500 करोड़ रूपये तथा इससे अधिक था, का कुल पीबीटी में 60.63 प्रतिशत हिस्सा था तथा उनके द्वारा दिया जाने वाला कुल कम्पनी आयकर 56.21 प्रतिशत था। तथापि, उनकी प्रभावी कर दर 22.88 प्रतिशत थी, जबकि उन कम्पनियों जिनकी पीबीटी एक करोड़ रूपए तक था, की प्रभावी कर दर 29.37 प्रतिशत थी। छोटी कंपनियों हेतु प्रभावी कर की यह दर 29.37 है जो कम्पनियों में सांविधिक दर के निकट है वह लाभ संबद्ध कटौतियों के धीरे-2 कम होने तथा कम्पनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक दर की उगाही कर परिणाम है। 24.67 प्रतिशत के संपूर्ण नमूने की प्रभावी दर हालांकि वित्त वर्ष 2013-14 की प्रभावी दर 23.22 प्रतिशत से आंशिक रूप से अधिक है। ऐसा विभिन्न लाभ जुड़ी कटौतियों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने तथा कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाने के कारण है।

एक करोड़ रूपये तक कर पूर्व मुनाफे वाली कम्पनियों के बारे में कर पूर्व लाभ की कुल आय का अनुपात कुल सैम्पल (76.94 प्रतिशत) के मुकाबले काफी अधिक (95.39 प्रतिशत) है। यह छोटी कंपनियों के लिए काफी उच्चतर 29.37 प्रतिशत की औसत प्रभावी कर दर से भी प्रदर्शित होता है। बड़ी कम्पनियों की तुलना में अपेक्षतया छोटी कम्पनियों के मामले में करों से पहले मुनाफों का यह कम अन्तर प्रदर्शित करता है जो बड़ी कम्पनियों को उपलब्ध कराई जा रही उच्च कर रियायतों के कारण है।

¹ वित्त वर्ष 2013-14 के लिए नमूना आकार 564787 था।

² आयकर विवरणी में 'कुल आय' कराधेय आय को निरूपित करती है जैसा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्थ निकाला जाएगा।

³ कम्पनियों के मामले में प्रभावी कर दर, करों से पूर्व (पीबीटी) कुल लाभों को संदत्त कुल कर (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर व अनुषंगी लाभकर शामिल नहीं है) का अनुपात है एवं प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।

⁴ लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 27.34 प्रतिशत थी।

⁵ 10 करोड़ तक की आयवाली कंपनियों के मामले में 32.445 प्रतिशत की कर दर तथा 10 करोड़ रु. से अधिक आयवाली कंपनियों के मामले में 33.99 प्रतिशत की कर दर का औसत निकास कर औसत सांविधिक कर पर निकाली गई है।

सारणी 1: करों से पहले मुनाफों की रेंज वाली सैम्पल कम्पनियों की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2013-14) (सैम्पल आकार-582889)

क्रम सं.	करों से पूर्व लाभ	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कारपोरेट आयकर में हिस्सा (% में)	करों से पूर्व लाभ के अनुपात में कुल आय का प्रतिशत (% में)	प्रभावी कर दर (% में) (लाभ के अनुपात में कर)
1	शून्य से कम	2,54,079	0.00	0.58	0.47		
2	शून्य	18,080	0.00	6.54	2.81		
3	0-1 करोड़ रूपए	2,76,531	2.73	3.38	3.25	95.39	29.37
4	1-10 करोड़ रूपए	26,983	6.76	7.54	7.40	85.44	26.99
5	10-50 करोड़ रूपए	5,130	9.17	9.08	9.48	76.26	25.52
6	50-100 करोड़ रूपए	894	5.16	5.01	5.26	74.83	25.14
7	100-500 करोड़ रूपए	895	15.55	14.56	15.12	72	23.97
8	500 करोड़ रूपए से अधिक	297	60.63	53.31	56.21	67.66	22.88
9	सभी कंपनियां	582889	100.00	100.00	100.00	76.94	24.67

सारणी 2 में प्रभावी कर दरों के संदर्भ में नमूना कम्पनियों की रूप रेखा दी गयी है। इस बात पर गौर किया गया कि 20 प्रतिशत तक की औसत प्रभावी दर वाली 3,37,053 कम्पनियों का हिस्सा कर-पूर्व कुल लाभ का 36.49 प्रतिशत तथा कुल कर योग्य आय का 14.59 प्रतिशत और कुल संदत्त कर का 13.73 प्रतिशत बैठता था। दूसरे शब्दों में अधिकांश कम्पनियों (3,37,053) अर्थात् कुल कम्पनियों के 57.82 प्रतिशत हिस्से ने अपने लाभों की तुलना में कर की काफी कम राशि का योगदान दिया। आश्चर्य की बात है किन्तु कुल लाभ का 6.52 प्रतिशत तथा कुल करों का 13.89 प्रतिशत वाली 52,899 कम्पनियों की प्रभावी कर दर 33.84 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर के लगभग बराबर थी। यह कम्पनियों में कर देयता के असमान वितरण को दर्शाता है। यह मुख्यतः संविधान में विभिन्न कर तरजीहों के कारण हैं।

सारणी 2 : नमूना कम्पनियों की प्रभावी कर-दर* की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2014-15) (नमूना आकार-582889)

क्रम सं.	प्रभावी कर दर (% में)	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)
1	शून्य से कम तथा शून्य	3,06,990	10.11	0.63	0.49
2	0-20	30,063	26.38	13.96	13.24
3	20-25	15,088	10.82	10.45	10.26
4	25-30	23,835	13.47	15.59	15.66
5	30-33.	1,35,934	32.70	45.80	46.46
6	<33.	52,899	6.52	13.56	13.89
7	अनिर्धारित (पीबीटी=0))	18,080	0.00	0.00	0.0
	कुल	582889	100.00	100.00	100.00

* प्रभावी कर दर में अधिभार तथा शिक्षा उपकर शामिल है।

सारणी 3 में सरकारी कम्पनियों (केवल पीएसयू) की प्रभावी कर दर की तुलना निजी कम्पनियों से की गयी है। हालांकि दोनों श्रेणियों की दर सांविधिक दर के मुकाबले कम है, फिर भी निजी क्षेत्र की कम्पनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की तुलना में अपने मुनाफे की बहुत बड़ी राशि कर के रूप में देती हैं।

सारणी 3 : सरकारी और निजी क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर* (वित्त वर्ष 2014-15) (नमूना आकार-582889)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	सार्वजनिक	218 [#]	21.37	20.23	25.03
2	निजी	582671	78.63	79.77	23.36
	योग	582889	100.00	100.00	24.67

* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

कर-निर्धारिती कम्पनियों (पीएसयू) द्वारा उनकी विवरणियों में दी गई सूचना पर आधारित।

सारणी 4 में सैम्पल कम्पनियों के मामले में विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र की प्रभावी कर दरों के मध्य में तुलना दर्शायी गई है। विनिर्माण क्षेत्र की प्रभावी दर (22.06 प्रतिशत) सेवा क्षेत्र की उच्च प्रभावी कर दर 26.73 प्रतिशत की तुलना में कम है। इन दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर 33.84 प्रतिशत है जो कि औसत सांविधिक दर से काफी कम है।

सारणी 4 : विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर* (वित्त वर्ष 2014-15) (नमूना आकार - 582889)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	विनिर्माण	1,28,095	44.05	39.38	22.06
2	सेवा	4,54,794	55.95	60.62	26.73
	योग	5,82,889	100.00	100.00	24.67

* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

सारणी 5 वित्त वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान हुए कर व्यय के संबंध में कम्पनी करदाताओं पर प्रमुख कर व्ययों के ब्यौरे देती है। यह विश्लेषण 30 नवम्बर, 2015 तक दाखिल की गई कम्पनी विवरणियों पर आधारित है जो वित्त वर्ष 2015-16 में अपेक्षित विवरणियों का 90 प्रतिशत है। तथापि, कम्पनियों द्वारा विवरणी दाखिल करने की देय तिथि 30 नवम्बर या उससे पूर्व है तथा विश्लेषित अधिकांश कर रियायतों द्वारा ऐसे प्रोत्साहन के दावे के प्रयोजनार्थ विवरणी का देय तिथि से पूर्व दाखिल किया जाना अपेक्षित होता है। अतः नमूना आंकड़ों में कर व्यय में किसी भी प्रकार से कोई बढोतरी नहीं हुई है। इन कम्पनियों द्वारा उठाई गई प्रत्येक कर रियायत से होने वाले कर प्रभाव की गणना, प्रत्येक कटौती की राशि पर 33.84 प्रतिशत की औसत सांविधिक कारपोरेट कर की दर को लागू करके की गई है। बढे हुए मूल्य हास वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय पर कटौती/भारित कटौती तथा जनता के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन हेतु पात्र परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय के कारण हुए राजस्व प्रभाव की गणना, कम्पनियों के लाभ और हानि लेखों में डेबिट किए गए मूल्य हास /कटौती और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्य मूल्यहास/कटौती के अन्तर से की गई है। इसके पश्चात कर व्यय के आंकड़े पर आने के लिए इस अन्तर पर औसत कारपोरेट कर की 33.84 प्रतिशत की दर, लागू की गई है।

कर व्यय का एक और पहलू कर आस्थगन है। कर आस्थगन तब होता है, जब कर दाता को कर सांविधि के अन्तर्गत उच्चतर कटौतियों की अनुमति दिए जाने के कारण, वह लघु अवधि के लिए कटौती के रूप में एक भत्ते (उदाहरण मूल्यहास भत्ता) का दावा करते हुए अपनी कर देयता को अस्थगित कर सकता है, जहां वह उसी मूल्य हास के दावे को अपने लेखों में कई वर्षों में दिखा रहा होता है। चूंकि मूल्य हास से इस तरह रोकड़ प्राप्त नहीं होता, इसे कर आस्थगन कहते हैं। दूसरी ओर, कर सांविधि के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों पर लगने वाला न्यूनतम वैकल्पिक कर, कम्पनी द्वारा अपने शेयर धारकों को दिए गए लाभ (कुछ समायोजनों के अधीन) पर देयता (वर्ष 2014-15 के सम्बंध में बुक लाभ पर अधिभार और उपकर सहित 20.99 प्रतिशत की दर से) लगाता है यदि यह देयता सामान्य दरों पर संगणित कर देयता से अधिक है। न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बंध में अधिक देयता की अनुमति, क्रेडिट (10 वर्ष तक) के रूप में उस अगले वर्ष तक दी जाती है जिसमें सामान्य कर देयता, न्यूनतम वैकल्पिक कर से अधिक हो। अतः न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बंध में अदा किया गया अतिरिक्त कर, भावी कर देयता का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्य हास के दावों के कारण कर आस्थगन की अवधि को सीमित करता है तथा इसी दावे को लम्बी अवधि में बांटते हुए लाभ से जुड़ी कटौतियों जैसी अन्य कटौतियों के, कर प्रभाव को कम करता है।

वित्त वर्ष 2014-15 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2015-16 का कर व्यय परिलक्षित किया गया है। वर्ष 2015-16 के सम्बंध में आंकलन, संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2015-16 में परिलक्षित कारपोरेट कर वृद्धि द्वारा 2014-15 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को गुणा करते हुए किया गया है। सारणी 5, वित्त वर्ष 2014-15 के संबंध में कर व्यय की शर्तों के अनुसार कारपोरेट कर दाताओं पर प्रमुख कर व्यय और वित्त वर्ष 2015-16 का परिलक्षण दर्शाती है।

**सारणी 5: वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान कार्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव
(सैम्पल आकार - 582889)**

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2014-15)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2015-16)
1.	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10 क और 10 कक)	16685.53	17619.92
2.	बढ़ा हुआ मूल्य ह्रास (धारा 32)	41530.56	43856.27
3.	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) तथा (2कख)	8401.97	8872.48
4.	जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कग)	747.34	789.19
5.	विशिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती (धारा 35कघ)	1790.57	1890.84
6.	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को दान पर कटौती (धारा 80छ)	992.26	1047.83
7.	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान पर कटौती (धारा 80छछक)	2.84	3.00
8.	राजनीतिक दलों को अंशदान देने पर कटौती (धारा 80छछख)	111.67	117.93
9.	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	4225.3	4461.92
10.	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	396.3	418.49
11.	दूरसंचार सेवाओं को उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	1745.33	1843.07
12.	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झक)	9621.02	10159.80
13.	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगी कंपनियों के लाभ में कटौती (धारा-80-झक)	134.98	142.54
14.	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झकख)	1548.30	1635.01
15.	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	3119.70	3294.41
16.	जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	23.87	25.20
17.	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झख)	2.96	3.12
18.	वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से औद्योगिक क्षेत्रों के होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	45.07	47.60
19.	खनिज तेलों और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	3227.32	3408.05
20.	आवासीय परियोजनाओं से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	105.42	111.33
21.	शीत श्रृंखला सुविधा के प्रचालन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	3.3	3.48
22.	खाद्य अनाजों की संभाल, भंडारण एवं परिवहन के एकीकृत व्यवसाय		

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2014-15)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2015-16)
	से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	22.05	23.28
23.	फलों एवं सब्जियों के संसाधन, परिरक्षण एवं पैकेजिंग से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा-80 झख)	270.23	285.36
24.	ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सालय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	1.67	1.77
25.	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	718.34	758.57
26.	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झग)	959.20	1012.92
27.	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झग)	2885.65	3047.25
28.	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झग)	1305.7	1378.82
29.	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से होने वाले लाभों की कटौती (80-जजक)	5.4	5.70
30.	नये कामगारों के नियोजन के संबंध में कटौती (80 जजकक)	91.38	96.50
31.	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती (80-ठक)	0.0	0.00
32.	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों कन्वेंशन सेंटर के सम्बंध में कटौती (धारा 80-झघ)	1.07	1.13
33.	कुल योग	1,00,722.31	1,06,362.76
34.	घटा न्यूनतम वैकल्पिक कर के कारण अतिरिक्त करदेयता = 46510.50		
	न्यूनतम वैकल्पिक कर के लेखे के दावे द्वारा कमी = 10,855.40		
	न्यूनतम वैकल्पिककर के परिणामस्वरूप निबल अतिरिक्त कर = 35655.10	35655.10	37651.78
	कुल	65,067.21	68,710.98

यद्यपि पिछले वर्ष के विवरण में 2014-15 के लिए प्रक्षेपित कर व्यय (न्यूनतम वैकल्पिक कर के भुगतान के कारण अतिरिक्त कर को छोड़कर) 98,407.60 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था, जो अब वास्तविक गणना के पश्चात 1,00,722.3 करोड़ रुपए है। एमएटी के परिणामस्वरूप संग्रहित अतिरिक्त कर को ध्यान में रखते हुए, कर प्रोत्साहन का वास्तविक राजस्व प्रभाव 62398.6 करोड़ रुपए के प्रक्षेपित कर व्यय के लिए 65,067.20 करोड़ रुपए थोड़ा अधिक है। इसका एक कारण यह है कि इस वर्ष एमएटी के तरीके द्वारा संग्रहित अतिरिक्त कर देयता वित्त वर्ष 2013-14 के लिए 6900.6 रुपए से काफी अधिक 10,885.40 करोड़ रुपए है।

बढ़ा हुआ मूल्य ह्रास उस लेखा शीर्ष के लिए है जिसके अंतर्गत कर प्रोत्साहन की सर्वाधिक राशि (41530.56 करोड़ रुपए) प्रदान की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में, विद्युत के उत्पादन, ट्रान्समिशन तथा वितरण से जुड़े उपक्रमों आधारभूत संरचना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास से जुड़े उपक्रमों तथा आर्थिक क्षेत्रों में अवस्थित इकाइयों द्वारा ली गई कटौती कुल कर प्रोत्साहन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

कम्पनियों की प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरणी के परिशिष्ट की सारणी में दिया गया है। निम्न रेंज में चीनी सीमेंट क्षेत्र की प्रभावी कर दर क्रमशः 6.95 प्रतिशत तथा 9.01 प्रतिशत है। इसी तरह पट्टे कंपनियों की प्रभावी कर दर भी 1.53 प्रतिशत पर से कम है।

ख. गैर-कारपोरेट (फर्म/ए.ओ.पी/बीओआई) सेक्टर

कार्पोरेट क्षेत्र के अलावा साझेदारी फर्मों, तथा व्यक्तियों के संघ (एओपी) अथवा व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी बड़े व्यवसाय संचालित किए जाते हैं। इन पर कर व्यय कंपनियों जितना अधिक नहीं है। वित्त वर्ष 2014-15 की आय के लिए आयकर विभाग ने 30 नवम्बर तक इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से दायर की गई 7,59,875 विवरणियां प्राप्त की हैं। कर व्यय का अनुमान लगाने के प्रयोजनार्थ, आयकर विभाग के डेटाबेस से 7,59,875 फर्मों/एओपी/बीओपी/बीओआई से संबंधित डेटा चुना गया। वित्त वर्ष 2014-15 में फर्मों/एओपी/बीओआई की समष्टि द्वारा संदत्त कर बड़े हिस्से का कारण है।

इस डेटा का विश्लेषण किया गया तथा निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए:

- नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कर पूर्व लाभ के रूप में 1,23,806.90 करोड़ रुपए की सूचना दी

तथा 1,07,532.69 करोड़ रुपए की कुल आय (कराधेय आय) की घोषणा की। 93,511 विवरणियों में हानि दर्शाई गई जो नमूने का 12.30 प्रतिशत है।

- इन नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए संदेय आयकर के रूप में (शिक्षा उपकर सहित) 32573.95 करोड़ रुपए सूचित किया है। उनके मामले में प्रभावी कर⁶ दर 26.31 प्रतिशत बनती है।

नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावाकृत प्रत्येक कर रियायत पर, राजस्व प्रभाव की गणना, प्रत्येक कटौती की राशि पर 30.90 प्रतिशत (30 प्रतिशत जमा 3 प्रतिशत अधिभार) की आयकर दर लागू की गई है। बढ़े हुए मूल्य ह्रास; वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय पर कटौती/भारित कटौती; जनता के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन की पात्र परियोजनाओं/स्कीमों पर कटौती और व्यय के कारण कर व्यय की गणना, फर्मों/एओपी/बीओआई के लाभ और हानि लेखों में डेबिट किए गे मूल्य ह्रास/कटौती और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्य मूल्यह्रास/कटौती के अन्तर से की जाती है। इसके पश्चात् 30.90 प्रतिशत की आयकर दर को, इस अन्तर पर लागू किया गया है ताकि प्रत्येक कर प्रोत्साहन के राजस्व भार का आकलन किया जा सके।

वित्त वर्ष 2014-2015 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन के लिए राजस्व प्रभाव के आधार पर, वित्त वर्ष 2015-2016 के लिए राजस्व प्रभाव का अनुमान किया गया है। 2015-2016 के लिए अनुमान को वर्ष 2015-2016 में संग्रहित वास्तविक आयकर के 2014-2015 के संशोधित अनुमानों के अनुसार वास्तविक आय कर संग्रहणों के अनुपात की गणना और 2014-2015 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय के उसी अनुपात को लागू करके तैयार किया गया है। सारणी 6 वित्त वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के दौरान कर व्यय के सम्बन्ध में गैर कार्पोरेट कर दाताओं के बारे में मुख्य कर व्यय को दर्शाती है। उच्चतम कर व्यय सहकारी सोसाइटियों के लाभों की कटौती के कारण है जोकि इस क्षेत्र में कुल राजस्व प्रभाव का 44.95 प्रतिशत है। उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में उपक्रमों द्वारा व्युत्पन्न लाभों की कटौती के कारण कर व्यय कुल कर व्यय का 14.44 प्रतिशत था।

गैर कार्पोरेट क्षेत्र अर्थात् फर्मों, एओपी/बीओआई के सम्बन्ध में कुल कर व्यय 4319.78 करोड़ रुपए है जो कि पिछले वर्ष के राजस्व प्रभाव के विवरण में अनुमान की गई राशि से 5141 करोड़ रुपए कम है। कर व्यय में कटौती का कारण है- गैर कार्पोरेट संगठनों पर वैकल्पिक न्यूनतम कर का उद्ग्रहण और कटौतियों को धीरे धीरे समाप्त करना।

सारणी 6 : वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-2016 के दौरान फर्मों/एओपी/बीओआई करदाताओं हेतु प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (नमूना आकार-759875)

क्रम सं.	प्रोत्साहन कटौती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2014-15)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2015-16)
1	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10क एवं 10कक) विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10क एवं 10कक)	337.74	356.65
2	बढ़ा हुआ मूल्यह्रास (धारा 32)	687.03	725.51
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) तथा 2कख)	23.31	24.62
4	जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कग)	4.59	4.84
5	निर्दिष्ट कारबार के संबंध में कटौती (35 कघ)	72.44	76.49
6	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को दान पर कटौती (धारा 80छ)	87.93	92.85
7	राजनीतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछग)	13.80	14.58
8	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	36.84	38.90
9	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	67.03	70.79

⁶ फर्मों/एओपी/बीओआई के मामले में प्रभावी कर दर कर पूर्व कुल लाभों के प्रति कुल अदा किए गए करों (शिक्षा उपकर सहित) का अनुपात है और इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

क्रम सं.	प्रोत्साहन कटौती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2014-15)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2015-16)
10	दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	1.34	1.42
11	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	162.76	171.87
12	विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	5.31	5.60
13	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झकख)	20.39	21.54
14	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	27.31	28.84
15	जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	1.62	1.71
16	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	0.97	1.02
17	आवासीय परियोजनाओं से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	172.88	182.56
18	शीत श्रृंखला सुविधा के परिचालन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	0.19	0.21
19	खाद्य अनाजों के प्रबंधन, भंडारण एवं परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	2.26	2.38
20	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	23.27	24.58
21	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	75.64	79.88
22	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	150.36	158.78
23	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	116.44	122.96
24	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	281.59	297.36
25	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से होने वाले लाभों की कटौती (80 जक)	4.22	4.46
26	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती (80ठक)	0.24	0.25
27	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों और सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)	0.62	0.66
28	सहकारी समितियों के लाभों की कटौती (धारा 80त)	1941.65	2050.39
29	योग	4,319.78	4,561.69

ग. व्यष्टि करदाता

आयकर अधिनियम के अध्याय जू-क में मुख्यतः कतिपय भुगतानों और कतिपय आय पर कटौती का प्रावधान है। व्यष्टि / हिन्दू अविभाजित परिवार करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनको व्यापक श्रेणी की कर प्राथमिकताएं उपलब्ध हैं। तथापि, 50 प्रतिशत व्यष्टि करदाता अपनी आय मुख्यतः वेतन से प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ से जुड़ी कटौतियों (अर्थात् कतिपय व्यवसाय आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर-वेतनभोगी व्यष्टियों का समूह दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा करता है।

व्यष्टि करदाताओं को प्रदान किए गए विभिन्न कर लाभों के कारण परित्यक्त राजस्व के अनुमान सारणी 7 में दिए गए हैं। आयकर अधिनियम के अध्याय VI- क के विभिन्न खंडों के अंतर्गत कर प्रभाव का अनुमान 30 नवम्बर, 2015 तक आयकर विभाग के पास व्यष्टियों

द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल 2,25,29,732 विवरणियों में कर प्राथमिकताओं के लिए विभिन्न दावों के आधार पर किया गया है। अध्याय VIक- के अलावा वित्त वर्ष 2014-15 में व्यक्ति करदाताओं पर अन्य मुख्य कर व्यय वरिष्ठ नागरिकों (60 या उससे अधिक वर्ष की आयु के व्यक्ति) के लिए 3 लाख रुपए की उच्च बुनियादी छूट सीमाओं तथा अति वरिष्ठ नागरिकों (अस्सी या उससे अधिक वर्ष की आयु के व्यक्ति) के लिए 5,00,000 रु. की बढ़ाई गई छूट सीमा के कारण था।

2,25,29,732 आयकर विवरणियों के नमूनों के आंकड़ों के आधार पर करदाताओं की पूरी संख्या के लिए कर व्यय का अनुमान निम्नप्रकार से किया गया है:-

- (i) यथोक्त (सारणी 7 की क्रम सं० 25 एवं 26) उच्च बुनियादी छूट सीमाओं के कारण राजस्व प्रभाव का परिकलन प्रति वरिष्ठ नागरिक एवं अति वरिष्ठ नागरिक के कर व्यय को उनकी संबंधित संख्या से गुणा करके किया गया है। उनकी संबंधित संख्या का अनुमान उनके द्वारा दाखिल नमूना विवरणियों की प्रतिशतता का परिकलन करके किया गया है। इसके पश्चात इस प्रतिशतता को वित्त वर्ष 2014-15 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या के अनुमान पर लागू किया गया है। 30 नवम्बर, 2015 तक आयकर विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल कुल नमूना विवरणियों की संख्या 2,25,29,732 है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए दाखिल 3,56,71,213 विवरणियों के अनुमान की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि मानकर वित्त वर्ष 2014-15 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या 3,74,54,773 होने का अनुमान है। नमूना विवरणियों के अनुसार 10.17 प्रतिशत विवरणियां वरिष्ठ नागरिकों द्वारा तथा 0.59 प्रतिशत विवरणियां अति वरिष्ठ नागरिक द्वारा दाखिल की गई। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध उच्चतर छूट सीमा के राजस्व प्रभाव का परिकलन 2,50,000 रुपए की सामान्य छूट सीमा और उच्चतर बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् 3,00,000 रु.) के बीच अन्तर और न्यूनतम 10 प्रतिशत की कर दर और उपकर को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए कर व्यय 5,150/- रु. है। अति वरिष्ठ नागरिक के लिए छूट सीमा 5,00,000/- रु. है और 25,750 (अधिभार सहित) की राशि का ऐसी आय पर संगणित कर साठ वर्ष से कम व्यक्ति द्वारा देय है। इसे प्रत्येक अति वरिष्ठ नागरिक के लिए राजस्व प्रभाव लिया गया है। इसके बाद प्रत्येक ऐसे करदाता (वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक) के कारण कर व्यय 2,50,000/- रु. की सामान्य छूट सीमा से ऊपर ऐसे करदाताओं की संख्या के कुल अनुमान पर प्रक्षेपित किया गया है।
- (ii) विशेष रूप से धारा 80-झक, 80-झकख 80-झख, 80-झग और 80-झघ (सारणी 7 की क्रम सं. 14 से 18) के अंतर्गत कटौती के मामले में राजस्व प्रभाव या कर व्यय का परिकलन यह मानकर किया गया है कि वास्तविक आंकड़ा इन धाराओं के अंतर्गत व्यष्टियों द्वारा किए गए कुल दावों को दर्शाता है क्योंकि वित्त वर्ष 2014-15 की आय के लिए सभी लेखा-परीक्षित कर विवरणियां अनिवार्य ई- फाइलिंग के अधीन थी।
- (iii) अन्य सभी मामलों में, सभी करदाताओं के लिए कर व्यय का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है-
 - (क) पहले प्रत्येक आय स्लेब, जिसके लिए नमूना विवरणियों में पृथक कर दर है, के लिए प्रति करदाता किसी विशेष प्रोत्साहन के लिए औसत कर व्यय की गणना की जाती है।
 - (ख) उसके बाद, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या में उस आय स्लेब में व्यष्टि करदाताओं की अनुमानित संख्या को प्रत्येक प्रोत्साहन के लिए औसत कर व्यय से गुणा किया जाता है।

इससे किसी विशेष प्रोत्साहन हेतु उस आय स्लेब के लिए कर व्यय प्राप्त होता है। सभी खंडों के लिए कर व्यय के जोड़ से उस विशेष कर प्रोत्साहन के कारण सभी लोगों के लिए कर व्यय प्राप्त होता है।

- (iv) वित्त वर्ष 2014-15 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कर व्यय का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2015-16 के लिए अनुमान, वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान के अनुसार संग्रहीत वैयक्तिक आयकर के अनुपात को वर्ष 2014-15 में संग्रहीत वास्तविक वैयक्तिक आयकर की गणना करके उस अनुपात को 2014-15 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय पर लागू करके किया गया है। धारा 87क के अन्तर्गत जो छूट दी जाती है उसका राजस्व प्रभाव इस परिकल्पना पर आधारित है कि सभी करदाताओं के मामले में वार्षिक वृद्धि दर 5 प्रतिशत हो सकती है।

उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार, सारणी 7 वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान व्यक्ति कर दाताओं, के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव दर्शाती है।

सारणी-7 वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16

के दौरान व्यष्टि / हिन्दू अविभाजित परिवार करदाताओं हेतु प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) (2014-15)	प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) (2015-16)
1	कतिपय निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	39,682.59	44650.85
2	कतिपय पेंशन निधियों में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	102.37	115.18
3	नई पेंशन योजना में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	432.78	486.96

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) (2014-15)	प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) (2015-16)
4	आर जी ई एस एस में निवेश के कारण कटौती (धारा 80 गगछ)	9.93	11.18
5	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (80घ)	1,064.91	1198.24
6	विकलांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर व्यय के कारण कटौती (80घघ)	208.13	234.19
7	विनिर्दिष्ट बीमारियों के चिकित्सा उपचार हेतु व्यय के कारण कटौती (80घघख)	110.98	124.87
8	उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (80ड.)	352.95	397.14
9	गृह ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (80 ड. ड.)	90.98	102.38
10	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थानों को दान के कारण कटौती (80छ)	433.64	487.93
11	आवास हेतु चुकाए गए किराए के कारण कटौती (80छछ)	151.08	169.99
12	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास हेतु दान के कारण कटौती (80छछक)	50.35	56.66
13	राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के कारण कटौती (80छछग)	45.39	51.07
14	अवसंरचना सुविधाओं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों तथा औद्योगिक पार्कों के विकास, विद्युत उत्पादन के कार्य में लगे एवं दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झक)	55.61	62.57
15	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झकख)	1.21	1.36
16	आवासीय परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास खाद्यान्न के प्रबंधन, भण्डारण एवं परिवहन के एकीकृत करोबार तथा जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झख)	63.6	71.56
17	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झग)	114.48	128.81
18	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों, सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)	0.44	0.50
19	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के कारोबार से लाभों की कटौती (80 जजक)	6.80	7.65
20	पाठ्य पुस्तकों के अलावा कतिपय अन्य पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (80थथख)	10.72	12.06
21	पेटेंट पर रॉयल्टी आय की कटौती (80ददख)	0.93	1.05
22	बचत खाता में ब्याज के कारण कटौती (80 ननक)	730.92	822.43
23	विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (80प)	163.21	183.64
24	धारा 87क के अन्तर्गत छूट	3,397.43	3822.79
25	वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	1528.62	1720.00
26	अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	396	445.58
	योग	49,206.05	55,366.64

विभिन्न बचत पत्रों में निवेश किए जाने के लिए कर प्रोत्साहन, आवास ऋण की वापसी तथा बच्चों के लिए शिक्षा शुल्क के भुगतान के माध्यम से जो राजस्व प्रभाव पड़ता है, (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अंतर्गत आते हैं) वह व्यक्ति करदाताओं के मामले में सबसे बड़ा एकल कर व्यय होता है। इसके बाद आवासीय व्यक्तियों जिनकी आय 5 लाख रुपए तक होती है, के मामले में कर से दी जाने वाली छूट और कर बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) पर की जाने वाली कटौती का स्थान आता है। वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों

के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमा के कारण होने वाला कर व्यय भी काफी अधिक होता है। जहां तक लाभपरक कटौतियों का संबंध है, सबसे अधिक कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80झख और धारा 80झग के कारण है।

(घ) धर्मार्थ सत्ताएं:

आय कर अधिनियम में धर्मार्थ प्रवृत्ति के कार्यों में शामिल सरकारी वित्त पोषित सत्ताओं सहित विभिन्न सत्ताओं के लिए छूट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, कतिपय कार्यकलापों जोकि सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करती हैं में शामिल सत्ताओं को विशेष छूट भी उपलब्ध है। ये सत्ताएं दान, स्वैच्छिक अशदान भी प्राप्त करती हैं और धर्मार्थ प्रकृति के कार्यकलापों से इनकी अन्य आय भी है। ऐसी सत्ताओं की कुल प्राप्तियों को उन उद्देश्यों, जिनके लिए इन्हें स्थापित किया गया है, हेतु प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। इन सत्ताओं को आय कर विवरणी दायर करनी अपेक्षित होती हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 30 नवम्बर, 2015 तक ऐसी सत्ताओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर विवरणियों की कुल संख्या 1,19,317 है। भारत में धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त कुल राशि 2,36,326 करोड़ रुपये है।

अप्रत्यक्ष कर

क. उत्पाद शुल्क

उत्पाद शुल्क को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लगाया जाता है। कई मामलों में विभिन्न वित्त अधिनियमों के द्वारा यह निर्धारित होता है कि यह शुल्क किस दर से लगाया जाएगा। इन विभिन्न अधिनियमों में विनिर्दिष्ट दरों को उत्पाद शुल्क की 'टैरिफ दरों' के नाम से जाना जाता है। केन्द्र सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5 क (1) के अंतर्गत यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह जनहित में छूट संबंधी अधिसूचनाएं जारी कर सकती है जिससे कि इन अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट टैरिफ दरों से कम दर पर शुल्क दरों का निर्धारण किया जा सकता है। इन छूट अधिसूचनाओं द्वारा विनिर्दिष्ट दरों को 'लागू दरों' के नाम से जाना जाता है।

1.2 कर प्रोत्साहन पर पड़ने वाले राजस्व प्रभाव को, छूट संबंधी अधिसूचना के न होने पर भुगतान किए जाने वाले शुल्क और इस अधिसूचना के कारण भुगतान किए गए वास्तविक शुल्क के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है -

- ऐसे मामलों में, जहां कि शुल्क की टैरिफ दर और लागू दर को मूल्यानुसार विनिर्दिष्ट किया जाता है वहां पर;
- कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभावउमाल का मूल्य X (शुल्क की टैरिफ दर- शुल्क की लागू दर)
- ऐसे मामलों में, जहां कि टैरिफ दर मूल्यानुसार आधारित है लेकिन लागू दर छूट अधिसूचना के अनुसार विनिर्दिष्ट दर से वसूला जाता है वहां पर **कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव = (माल का मूल्य × शुल्क की टैरिफ दर) - (माल की मात्रा × विनिर्दिष्ट शुल्क की लागू दर)**
- ऐसे मामलों में, जहां कि टैरिफ दर और लागू दर मूल्यानुसार और विशिष्ट दर का योग (कम्बिनेशन) बनता है वहां पर कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव की गणना तदनुसार की जाती है।
- सभी मामलों में जहां कि शुल्क की टैरिफ दर लागू दर के बराबर होती है वहां पर कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव शून्य होगा।

1.3 उक्त धारा 5 क (1) के अंतर्गत सामान्य छूट अधिसूचनाओं को जारी करने की शक्ति के अलावा केन्द्र सरकार के पास यह भी शक्ति है कि वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 क (2) के अंतर्गत कतिपय आपवादिक परिस्थितियों में मामले दर मामले के आधार पर उत्पाद शुल्क से छूट देने के लिए विशेष आदेश जारी कर सकती है। हालांकि, उस सामान्य छूट से भिन्न जो कि केन्द्र सरकार की वित्तीय नीति का अभिन्न हिस्सा होती हैं, ऐसे छूट आदेशों को जारी करने का मुख्य उद्देश्य इन अपवादित परिस्थितियों का समाधान करना होता है। इस प्रकार इस विशेष छूट आदेशों के जारी किये जाने के कारण होने वाले राजस्व प्रभाव की गणना, कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़ों के रूप में नहीं की जा रही है।

1.4 देश भर के सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर की स्वचालित व्यवस्था (एसीईएस) शुरू की गई है। वर्ष 2014-15 के कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़े एसीईएस के आंकड़ों पर आधारित हैं जिसमें अन्य बातों के अलावा निर्धारितियों द्वारा भरे गये रिटर्नों में दिये गये आंकड़े भी लिए गये हैं। क्षेत्र आधारित छूट योजनाओं को लागू किये जाने के कारण राजस्व प्रभाव को संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोनों से अलग-अलग प्राप्त किया गया था।

1.5 इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2014-15 के कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव अनंतिम रूप से 1,84,764 करोड़ रुपये था झ1,67,480 करोड़ रुपये (सामान्य छूट) 3 17,284 करोड़ रुपये (क्षेत्र आधारित छूट)। वित्तीय वर्ष 2014-15 के कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव पूरे वर्ष के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है, जोकि अब उपलब्ध है और 1,84,764 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व प्रभाव की तुलना में 1,96,789 करोड़ रुपये (1,76,811 (सामान्य छूट) 3 19,978 करोड़ रुपये (क्षेत्र आधारित छूट) होता है।

1.6 वित्त वर्ष 2015-16 के कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव की गणना वर्ष के एक भाग अर्थात् अप्रैल से दिसम्बर, 2015 तक के एससीईएस

आकड़ों के आधार पर की गई तथा इसके पश्चात् इसके आधार पर पूरे वर्ष 2015-16 का अनुमान लगाया गया। तदनुसार वित्त वर्ष 2015-16 के संबंध में कर प्रोत्साहनों का 2,24,940 करोड़ रुपये राजस्व प्रभाव अनुमानित है ₹2,05,820 करोड़ रुपये (सामान्य छूट) और 19,120 करोड़ रुपये (क्षेत्र आधारित छूट)

1.7 2,24,940 करोड़ रुपये के आकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्ष 1,96,789 करोड़ रुपये के कर प्रोत्साहन आंकड़ों के संशोधित राजस्व प्रभाव में 14.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

1.8 जहां तक क्षेत्र आधारित छूटों का संबंध है इस समय दो प्रकार की छूट योजनाएं चल रही हैं-

(i) धनवापसी पर आधारित (उत्तर-पूर्व तथा जम्मू एवं कश्मीर) और

(ii) पूर्ण छूट (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड)।

1.9 धनवापसी आधारित छूट के मामले में राजस्व प्रभाव की संगणना, व्यक्तिगत इकाईयों को वास्तव में स्वीकृत सभी धन वापसियों के योग के आधार पर की जाती है। जहां तक पूर्ण छूट का संबंध है, राजस्व प्रभाव की गणना सामान्य लागू दर और वास्तविक रूप से भुगतान किये गये शुल्क (शून्य) के अंतर का प्रयोग करते हुए की जाती है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ड्यूटी व्यवस्था में कर प्रोत्साहनों का समग्र राजस्व प्रभाव निम्नलिखित अनुसार है :

सारणी 8 : उत्पाद शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

क्रम सं.	छूट के ब्यौरे	राजस्व प्रभाव (करोड़ में)		
		2014-15 अनुमानित	2015-16 संशोधित	2015-16 (अनंतिम)
1	उत्तर पूर्व राज्यों, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में लागू क्षेत्र आधारित छूटें	17,284	19,978	19,120
2	अन्य	1,67,480	1,76,811	2,05,820
	कुल	1,84,764	1,96,789	2,24,940

1.10 वर्ष 2015-16 में 2,24,940 रु के उत्पाद शुल्क प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव होने का अनुमान है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोलियम उत्पाद, सिमेंट, केरोसिन, एलपीजी, वाहन (ट्रैक्टर समेत) और वस्त्र पर दिए जाने वाले टैरिफ कुशन या छूट (लगभग 1.15 लाख करोड़ रु का) छूट भी शामिल है साथ ही साथ इसमें लगभग 9000 करोड़ रु की क्षेत्र आधारित छूट भी निहित है।

ख. सीमाशुल्क

2.1 वस्तुओं पर सीमाशुल्क, टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उदग्रहणीय है। निर्यात पर निर्यात शुल्क, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर सीमा शुल्क, अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उदग्रहणीय है। इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में निम्नलिखित के उदग्रहण का प्रावधान है :

- सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी इधारा 3 की उप-धारा (1)ट (जिसे सामान्यतः काउंटर वेलिंग ड्यूटी अथवा सीवी ड्यूटी कहा जाता है), और
- 4 प्रतिशत की दर पर उदग्रहणीय सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी इधारा 3 की उपधारा (5)ट (जिसे सामान्यतः एसएडी कहा जाता है)

2.2 इन दरों को टैरिफ दरों के रूप में जाना जाता है। तथापि केन्द्रीय सरकार को लोकहित में अधिसूचनाओं को जारी किये जाने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (1) के अंतर्गत छूट प्रदान करने की शक्तियां सौंपी गई हैं ताकि टैरिफ दरों से कम दर पर ड्यूटी दरें निर्धारित की जा सकें। अधिसूचना द्वारा निर्धारित ये दरें 'प्रभावी दरों' के रूप में जानी जाती हैं।

2.3 सीमा शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत, कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव की गणना उसी तरीके से की जाती है जैसाकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की व्यवस्था में कर प्रोत्साहनों में राजस्व प्रभाव की गणना करने में अपनाई जाती है।

2.4 विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ा विनिमय (ईडीआई) स्थलों पर भारतीय सीमाशुल्क इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ा विनिमय प्रणाली (आईसीईएस) में आयातकों द्वारा दर्ज प्रविष्टि बिलों से उत्पन्न आंकड़े पर आधारित है। चूंकि ईडीआई प्रणाली, गैर-ईडीआई स्थलों के माध्यम से आयातों अथवा जहां ईडीआई प्रणाली पूर्णतः प्रचालित नहीं है अथवा जहां प्रविष्टि बिलों को अभी तक हाथ द्वारा दर्ज किया जा रहा है, के संबंध में डाटा हासिल नहीं करता है, तो कर प्रोत्साहनों के राजस्व

प्रभाव की कुल स्थिति तक पहुंचने के क्रम में उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। राजस्व प्रभाव डाटा आधारभूत सीमाशुल्क ड्यूटी, सीवी ड्यूटी से छूटों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाएं छूट, जो सीवी ड्यूटी के उद्ग्रहण के लिए संगत हैं, पर भी ध्यान देता है। यह एसएडी से 4 प्रतिशत की विशेष सीवीडी से छूटों पर भी ध्यान देता है।

बजट 2014-15 के प्रस्तुत किए जाने के समय तक वर्ष 2013-14 की सीमा शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के आंकड़े उपलब्ध थे। यह अपरिवर्तनीय रहा है।

2.5 वर्ष 2014-15 के कर प्रोत्साहनों के अनुमानित राजस्व प्रभाव का आकलन करने के लिए उस कार्य प्रणाली का प्रयोग किया गया है जो पिछले वर्षों की जाती रही है। ईडीआई ने वर्ष 2014-15 में वास्तविक रूप से रिपोर्ट किए गए सकल सीमा शुल्क राजस्व संग्रहण का 90.35 कैप्चर किया है। ईडीआई आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 (अप्रैल से दिसम्बर, 2015) के संबंध में कर प्रोत्साहनों का अनुमानित सीमाशुल्क राजस्व प्रभाव 231472 करोड़ रुपये है। ईडीआई द्वारा कैप्चर नहीं किए गए आंकड़ों को सुस्पष्ट किए जाने के पश्चात सम्पूर्ण वर्ष 201-15 के संबंध में कर प्रोत्साहन का अनुमानित राजस्व प्रभाव 341592 करोड़ रु बैठता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 का कर प्रोत्साहन संबंधी सीमाशुल्क राजस्व प्रभाव, जो कि ईडीआई आंकड़ों पर आधारित है, अब उपलब्ध हो गया है और ईडीआई के द्वारा पकड़े न जा सकने वाले आंकड़ों के पश्चात यह राशि 283630 करोड़ रु होती है।

2.6 वित्तीय वर्ष 2014-15 के कर प्रोत्साहन के प्रभाव में आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 62 के अंतर्गत भंडार गृह में रखे गए माल भी शामिल हैं (जो कि बंदपत्र के तहत आते हैं) इससे जब भंडार गृह में रखे गए सामानों का घरेलू उपयोग के लिए क्लीयरेंस कर दिया जाता है तो प्रत्यक्त राजस्व की गणना दोगुनी हो जाती है। इसलिए इस विवरण में भंडार गृह में जमा किए गए माल को प्रत्यक्त राजस्व की गणना में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इन सामानों के कारण जो प्रत्यक्त राजस्व की गणना होगी, वह इनके घरेलू खपत के लिए क्लीयर किए जाने के बाद की जाएगी। तदनुसार वर्ष 2014-15 के वास्तविक आंकड़े और 2015-16 के अनुमानों को इन बंदपत्रों के आंकड़ों से बाहर रखा गया है।

2.7 वर्ष 2015-16 के कर प्रोत्साहन के अनुमानित राजस्व प्रभाव की गणना करने के लिए इसी पद्धति को अपनाया गया है। ईडीआई आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 (अप्रैल से दिसंबर 2015) के कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव 2,09,038 करोड़ रु बैठता है। 2015-16 के सकल सीमाशुल्क संग्रहण की वास्तविक राशि के 90.35 प्रतिशत के आधार पर ईडीआई द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के आधार पर, ईडीआई के द्वारा संकलित न किए गए आंकड़ों को शामिल करते हुए, 2015-16 के संपूर्ण वर्ष में कर प्रोत्साहन का सीमाशुल्क राजस्व प्रभाव 3,08,487 करोड़ रु होता है। इस राजस्व प्रभाव में तथापि निर्यात संबद्ध आगत कर शामिल हैं। इन योजनाओं में से कई योजनाएं आगत कर उदासीनता का प्रावधान करती हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हम करों का निर्यात नहीं करते अतः इन योजनाओं के कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव को कर प्रोत्साहनों के अनुमानित राजस्व प्रभाव से अलग रखा गया है। निर्यात की विभिन्न संवर्धन योजनाओं से कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव की कटौती करने के पश्चात परंतुकि निम्न सारणी 11 के क्रम सं. 14 में उल्लिखित प्रोत्साहनों से राजस्व प्रभाव को शामिल करते हुए वर्ष 2014-15 के संबंध में कर प्रोत्साहन का कुल राजस्व प्रभाव 301688 करोड़ बैठता है। (341592 करोड़ रुपये- 39904 करोड़ रुपये)

2.8 वर्ष 2015-16 के दौरान कर प्रोत्साहनों का अनुमानित राजस्व प्रभाव 2014-15 के प्रभाव से 7.78 प्रतिशत अधिक था। इसी अवधि के दौरान सीमा शुल्क संग्रहण में 9.7 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है।

2.9 प्रमुख जिंस समूहों और सकल राजस्व प्रभाव में उनके हिस्से के आधार पर 2014-15 और 2015-16 की अवधि में सीमा शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को निम्नलिखित रूप में दिखाया गया है:

सारणी-9 : कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव में अपना योगदान देने वाले प्रमुख जिंस समूहों का हिस्सा

अध्याय	क्षेत्र	2014-15		2015-16 (अनुमानित)	
		राजस्व प्रभाव (करोड़)	कुल राजस्व प्रभाव में हिस्से का प्रतिशत	राजस्व प्रभाव (करोड़)	कुल राजस्व प्रभाव में हिस्से का प्रतिशत
71	बहुमूल्य रत्न और आभूषण	44926	16	61126	20
27	खनिज ईंधन और खनित तेल (कच्चा प्रट्रोलियम)	55646	20	41128	13
15	जंतु तथा वनस्पति वसा (खाद्य तेल)	42694	15	40507	13
84	मशीनरी	16586	6	17922	6
85	इलेक्ट्रिकल मशीनरी	14698	5	16574	5
54	मानव निमृत फिलामेंट	7609	3	14406	5

अध्याय	क्षेत्र	2014-15		2015-16 (अनुमानित)	
		राजस्व प्रभाव (करोड़)	कुल राजस्व प्रभाव में हिस्से का प्रतिशत	राजस्व प्रभाव (करोड़)	कुल राजस्व प्रभाव में हिस्से का प्रतिशत
29	जैविक रसायन	10959	4	11009	4
7	खाद्य सब्जियां, मूल तथा कंद (दालें)	6814	2	10349	3
72	लौह और इस्पात	8766	3	9534	3
31	उर्वरक	6279	2	9131	3
28	अजैविक रसायन	4115	1	6931	2
8	खाद्य फल और नट	3971	1	6875	2
39	प्लास्टिक	4485	2	4794	2
90	ऑप्टिकल/फोटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट	3849	1	4630	2
88	एयरक्राफ्ट	2945	1	3516	1
26	अयस्क	3344	1	2927	1
89	जहाज, बोट और तैरने वाले उपकरण	4009	1	2906	1
73	लोहे और इस्पात की वस्तुएं	2650	1	2520	1
98	प्रोजेक्ट इम्पोर्ट्स बैगेज	2818	1	2361	1
44	लकड़ी	2206	1	2304	1
87	मोटर वाहन	2024	1	2189	1
	योग	251393	89	273639	89

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रत्येक अध्याय का कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव नीचे दिया गया है:-

सारणी :10 सीमाशुल्क व्यवस्था के अंतर्गत कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के अनुमान

(करोड़ रुपये में)

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2014-15	2015-16 (अनुमानित)
1	जीवित पशु	5	6
2	मांस और खाद्य मांस ऑफल	14	9
3	मत्स्य एवं क्रस्टेसियन्स, अन्य जलीय अकेशुरुकीय प्राणी	99	111
4	डेयरी उत्पाद	68	49
5	पशु आदि के अन्य उत्पाद	27	41
6	जीवित पेड़ और अन्य पौधे	3	3
7	खाद्य सब्जियां, विशिष्ट मूल और कन्द	6814	10349
8	खाद्य फल और मेवे	3971	6875
9	काफी, चाय, मेट और मसाले	1345	1436
10	अनाज	124	1172
11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद	68	54
12	तिलहन, अनाज, बीज, फल	317	385
13	लाख, गोंद और रेजिन	308	362
14	सब्जी प्लेटिंग वस्तुएं	28	41
15	जन्तु या वनस्पति वसा तथा तेल	42694	40507

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2014-15	2015-16 (अनुमानित)
16	मांस या मछली से विनिर्मित पदार्थ	9	11
17	चीनी	2379	1832
18	कोको	366	317
19	अनाज से विनिर्मित पदार्थ	73	106
20	वनस्पति से विनिर्मित पदार्थ	62	48
21	विविध खाद्य उत्पाद	485	414
22	पेय एवं स्प्रिट	421	589
23	खाद्य उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट एवं कचरे	402	506
24	तम्बाकू	92	100
25	लवण, गंधक मिट्टी एवं पत्थर	819	875
26	अयस्क	3344	2927
27	खनिज ईंधन एवं खनिज तेल	55646	41128
28	अकार्बनिक रसायन	4115	6931
29	जैव रसायन	10959	11009
30	औषधि उत्पाद	1073	1179
31	उर्वरक	6279	9131
32	टैनिंग एवं डायिंग निष्कर्ष, रंजक	631	788
33	आवश्यक तेल	475	462
34	साबुन एवं धुलाई के उत्पाद	256	263
35	प्रोटीन पदार्थ	160	153
36	विस्फोटक पदार्थ एवं माचिस	28	32
37	फोटोग्राफी सामान	63	57
38	विविध रसायनिक पदार्थ	1664	1785
39	प्लास्टिक	4485	4794
40	खर	1899	1423
41	हाइड एवं स्किन एवं लेदर	495	505
42	चमड़े की वस्तु	48	85
43	फर स्किन	4	3
44	लकड़ी	2206	2304
45	कर्क	1	2
46	भूस के उत्पाद	0	1
47	लकड़ी की लुगदी	1237	1309
48	कागज	1702	1676
49	मुद्रित अखबारों एवं किताबें	1177	1770
50	रेशम	313	321
51	ऊन	158	180
52	सूती	605	556
53	अन्य वनस्पति फाइबर	222	338
54	मानव निर्मित सूत	7609	14406
55	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	1222	1344

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2014-15	2015-16 (अनुमानित)
56	वैडिंग एवं गैर बुने हुए	104	125
57	कालीन	38	41
58	विशेष बुने हुए कपड़े	402	600
59	कोटेड टैक्सटाइल फेब्रिक	696	583
60	बुना हुआ कपड़ा	382	393
61	बने हुए रेडीमेड कपड़े	163	211
62	बुने हुए कपड़े	342	452
63	बने बनाये सामान	109	183
64	जूता-चप्पल	364	496
65	सिर की टोपी	2	2
66	छाता	14	13
67	पंख/कृत्रिम फूल	2	2
68	पत्थर और प्लास्टर की वस्तुएं	208	239
69	मिट्टी के उत्पाद	290	290
70	कांच और कांच के बर्तन	281	349
71	बहुमूल्य रत्न, आभूषण	44926	61126
72	लोहा और इस्पात	8766	9534
73	लोहा और इस्पात की वस्तुएं	2650	2520
74	कॉपर और उससे निर्मित वस्तुएं	1562	1680
75	निकेल और उससे निर्मित वस्तुएं	229	184
76	एल्यूमीनियम एवं उससे निर्मित वस्तुएं	1518	1874
78	शीशा एवं उससे निर्मित वस्तुएं	263	248
79	जिंक और उससे निर्मित वस्तुएं	203	234
80	टिन एवं उससे निर्मित वस्तुएं	104	85
81	अन्य बेस मेटल	135	118
82	उपकरण एवं उपस्कर	532	455
83	बेस मेटल से निर्मित विविध वस्तुएं	238	250
84	मशीनरी	16586	17922
85	इलेक्ट्रिकल मशीनरी	14698	16574
86	रेलवे या ट्रामवेज लोकोमोटिव्स रोलिंग स्टैक्स आदि	162	234
87	मोटर वाहन	2024	2189
88	एअर क्राफ्ट्स	2945	3516
89	शिप्स, बोट्स एवं फ्लार्टिंग स्ट्रक्चर्स	4009	2906
90	चश्मा/फोटोग्राफी उपकरण	3849	4630
91	क्लॉक एवं वॉच	45	55
92	संगीत वाद्ययंत्र	11	11
93	हथियार और गोला बारूद	1777	1077
94	फर्नीचर	429	694
95	खिलौने और खेल	378	482
96	विविध विनिर्मित वस्तुएं	229	254

97	कला की प्राचीन वस्तुएं	75	237
98	परियोजना आयात, सामान	2818	2361
	कुल	283630	308487

इन आंकड़ों में कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़े भी शामिल हैं जो कि प्रतिअदायगी से पृथक अन्य विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को चलाये जाने के कारण पैदा हुए हैं। व्यक्तिगत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के राजस्व प्रभाव का ब्यौरा नीचे अलग-अलग दिया गया है। इन योजनाओं में से ड्यूटी फ्री इन्टाइटलमेंट क्रेडिट सर्टीफिकेट, टारगेट प्लस, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना, सर्वड फ्रॉम इण्डिया और फोकस मार्केट/प्रोडक्ट प्रोत्साहन योजनाएं हैं। छूट अधिसूचनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त शुल्क की गणना करते समय इन योजनाओं से होने वाले परित्यक्त राजस्व प्रभाव पर भी विचार किया जाता है। बाकी योजनाएं या तो छूट योजनाएं हैं या आदान-कर उदासीनीकरण योजनाएं हैं जिनका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने निर्यातकों को समस्तरीय कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराना है। चूंकि ये निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं नहीं हैं अतः इन योजनाओं से होने वाले राजस्व प्रभाव को राजस्व प्रभाव की गणना से बाहर कर दिया गया है, जैसा कि नीचे सारणी 11 में दर्शाया गया है

सारणी 11 : निर्यात प्रोत्साहन रियायतों के कारण होने वाला राजस्व प्रभाव

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2014-15	2016-16 (अनुमानित)
1	एडवांस लाइसेंस योजना	23461	25899
2	ईओयू/ईएचटी/एसटीपी	6076	5756
3	ईपीसीजी	6643	9729
4	डीईपीबी स्कीम	96	523
5	एसईजेड	4737	7591
6	डीएफआरसी	1	1
7	ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अथराइजेशन स्कीम	3650	1440
8	ड्यूटी फ्री इन्टाइटलमेंट क्रेडिट सर्टीफिकेट	167	222
9	टारगेट प्लस स्कीम	365	780
10	विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना	3401	2436
11	सर्वड फ्रॉम इण्डिया स्कीम	650	683
12	फोकस मार्केट/प्रोडक्ट स्कीम	13261	12229
13	योग	62507	67288
14	क्र.सं. 8 से 12 में प्रोत्साहन योजनाओं के परित्यक्त राजस्व को कम रखा गया	17845	16350
15	आदान कर उदासीनीकरण या छूट योजनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त राजस्व को सीमाशुल्क के सकल परित्यक्त राजस्व में से घटाया जाना है।	44663	50938

2.12 राजस्व प्रभाव के उपर्युक्त अनुमानों में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (2), जिसे अपवादिक स्वरूप के मामलों के हालात पर विचार करते हुए विशिष्ट मामलों में बढ़ाया जाता है, के अंतर्गत जारी तदर्थ छूट आदेशों के कारण हुए राजस्व प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

2.13 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए कर व्यय सार रूप में निम्नलिखित है:

सारणी-12 वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान कर प्रोत्साहनों का कर प्रभाव (प्रत्यक्ष कर)

(करोड़ रुपए में)

2014-15 में राजस्व प्रभाव	2015-16 में प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव
---------------------------	--------------------------------------

कारपोरेट आय कर	65,067.21	68,710.98
व्यक्तिगत आय कर	53,525.83	59,928.33
कुल	1,18,593.04	1,28,639.31

**सारणी-13 वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16
में कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (अप्रत्यक्ष कर)**

(करोड़ रुपए में)

	2014-15 में कर व्यय	2015-16 में कर व्यय (अनुमानित)
उत्पाद शुल्क	1,96,789	2,24,940
सीमा-शुल्क	2,38,967	2,57,549
कुल	4,35,756	4,85,489

वर्ष 2013-2014 में केन्द्रीय करों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) दोनों से कुल कर व्यय 5,54,349.04 करोड़ रुपए है और 2014-15 के लिए 6,11,128.31 करोड़ रुपए प्रक्षेपित है। निष्कर्ष रूप में कुल कर व्यय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, दोनों में उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दर्शित हो रही है।

कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव से संबंधित पूरक नोट (अप्रत्यक्ष कर)

सीमा शुल्क

सूत्र के अनुसार, कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव, राजस्व प्रभाव = मूल्य । इटैरिफ दर द्रु लागू दरट, वित्तीय वर्ष 2014-15 में 2,38,967 करोड़ रु परिगणित किया गया है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2015-16 का राजस्व प्रभाव 2,57,549 करोड़ रु होने का अनुमान है।

2. बहरहाल अधिकतर मामलों में उच्च टैरिफ दर इस उद्देश्य से निर्धारित की गई है। ताकि टैरिफ कुशन सुलभ रहे और तथा यदि आवश्यक हो इसका युक्तियुक्त रूप से प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार की कुछ मामले और उनका कर प्रोत्साहन के प्रभाव में अंशदान निम्नानुसार सरांशीकृत किया जाता है:

अध्याय	मद	राजस्व परित्यक्त (रु. करोड़ में)		कारण
		2014-15	2015-16	
71	हीरा सोना	44926	61126	खुरदरा हीरा बीसीडी— ○ टैरिफ दर 10% ○ सामान्य प्रभावी दर- शून्य कटऔर पॉलिश किया हीरा बीसीडी — — — — — ○ टैरिफ दर - 10% ○ सामान्य प्रभावी दर - 2.5% गोल्ड बुलियन उत्पादशुल्क/सीवीडी ○ टैरिफ दर - 12%/12.5% ○ सामान्य प्रभावी दर- शून्य गोल्ड डोर बीसीडी— ○ टैरिफ दर - 10% ○ सामान्य प्रभावी दर- शून्य उत्पादशुल्क/सीवीडी ○ टैरिफ दर - 12% / 12.5% सामान्य प्रभावी दर - 8%
27	खनिज ईंधन और	55646	41128	मुख्यतः निम्नलिखित के कारण कच्चा पेट्रोलियम: बीसीडी —

अध्याय	मद	राजस्व परित्यक्त (रु. करोड़ में)		कारण
		2014-15	2015-16	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ टैरिफ दर 5% ○ सामान्य प्रभावी दर- शून्य कोयला बीसीडी ○ टैरिफ दर 10% ○ सामान्य प्रभावी दर - 2.5%. उत्पादशुल्क/सीवीडी ○ टैरिफ दर 6% ○ सामान्य प्रभावी दर 2%. बीसीडी
15	खाद्य तेल	42694	40507	<ul style="list-style-type: none"> ○ टैरिफ दर - 100% ○ सामान्य प्रभावी दर 12.5% कच्चा तेल परिष्कृत खाद्य तेलों पर 20% उत्पादशुल्क/सीवीडी ○ टैरिफ दर 6% ○ सामान्य प्रभावी दर- शून्य कीमतों में गिरावट के कारण कर प्रोत्साहन कारण कमी
7	दाल, खाद्य सब्जियां, जड़ें और ट्यूबर	6814	10349	<ul style="list-style-type: none"> ○ बीसीडी दालें ○ टैरिफ दर 30% ○ सामान्य प्रभावी दर- शून्य प्याज ○ टैरिफ दर - 30% ○ सामान्य प्रभावी दर- शून्य कर प्रात्साहनों के प्रभाव में बढ़ोत्तरी आयात में 8500 करोड़ रु की बढ़ोत्तरी के कारण हुई है।
72	लौह एवं इस्पात	8766	9534	<ul style="list-style-type: none"> ○ बीसीडी ○ टैरिफ दर - 15% ○ सामान्य प्रभावी दर - 7.5%/10%/12.5% ○ वर्ष 2015-16 के बजट में टैरिफ दर में बढ़ोत्तरी के कारण कर प्रोत्साहन के प्रभाव में बढ़ोत्तरी।
31	उर्वरक	6279	9131	<ul style="list-style-type: none"> ○ यूरिया ○ बीसीडी ○ टैरिफ दर - 10% ○ सामान्य प्रभावी दर - 5% ○ उत्पादशुल्क/सीवीडी ○ टैरिफ दर 12% / 12.5% ○ सामान्य प्रभावी दर -1%
88	एयरक्राफ्ट	2945	3516	<ul style="list-style-type: none"> ○ बीसीडी ○ टैरिफ दर - 3% ○ सामान्य प्रभावी दर- शून्य/2.5% ○ उत्पादशुल्क/सीवीडी ○ टैरिफ दर 12%/12.5%

अध्याय	मद	राजस्व परित्यक्त (रु. करोड़ में)		कारण
		2014-15	2015-16	
89	जहाज, वेसल्स, बोट	4009	2906	सामान्य प्रभावी दर- शून्य सरकार उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्यत बीसीडी टैरिफ दर - 10% सामान्य प्रभावी दर- शून्य उत्पादशुल्क/सीवीडी टैरिफ दर - 12%/12.5%
73	लौह और इस्पात की वस्तुएं	2650	2520	सामान्य प्रभावी दर- शून्य बीसीडी टैरिफ दर - 15% सामान्य प्रभावी दर - 10% वर्ष 2015-16 के बजट में टैरिफ दर में बढ़ोत्तरी के कारण कर प्रोत्साहन के प्रभाव में बढ़ोत्तरी।
सभी	मुक्त व्यापार के विभिन्न करारों के अंतर्गत वरियता दरें वरीयता दर विभिन्न न्यून दरें	13653	15745	बीसीडी टैरिफ दर - 7.5%/10% वरीयता दर-विभिन्न न्यून दरें संप्रभू वचनबद्धता
	कुल	188382	196462	

2. उपर्युक्त सूची संकेतात्मक है और व्यापक नहीं। यदि इस सैद्धांतिक राजस्व प्रभाव को कुल राजस्व प्रभाव से हटाया जाता है तो वित्त वर्ष 2014-15 के संबंध में शेष प्रभाव 50885 करोड़ रु होता है और वित्त वर्ष 2015-16 के संबंध में अनुमानित राजस्व प्रभाव 61087 करोड़ रु होता है

उत्पाद शुल्क

फार्मूला, राजस्व प्रभाव = मूल्य । इंटैरिफ ^{द्वि} प्रभावी दरट, के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव 1,96,789 करोड़ बैठता है। इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2015-16 के संबंध में कर प्रोत्साहन का अनुमानित राजस्व प्रभाव 2,24,940 करोड़ रु है।

2. बहरहाल अधिकतर मामलों में उच्च टैरिफ दर इस उद्देश्य से निर्धारित की गई है। ताकि टैरिफ कुशन सुलभ रहे और तथा यदि आवश्यक हो इसका युक्तियुक्त रूप से प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार की कुछ मामले और उनका कर प्रोत्साहन के प्रभाव में अंशदान निम्नानुसार सरांशीकृत किया जाता है:

अध्याय	मद	राजस्व परित्यक्त (रु. करोड़ में)		कारण
		2014-15	2015-16	
27	खनिज ईंधन और खनिज तेल	44731	72820	डीजल टैरिफ दर 14% +15 रु प्रति लीटर प्रभावी दर 11.33 रु प्रति लीटर / 13.69 रु प्रति लीटर घरेलू एलपीजी टैरिफ दर - 14% प्रभावी दर - शून्य किरोसीन पीडीएस टैरिफ दर - 14% प्रभावी दर - शून्य
87	मोटर वाहन	20114	18260	1200सीसी/1500सीसी इंजन की क्षमता वाले पेट्रोल और डीजल वाहन टैरिफ दर - 24% प्रभावी दर -12.5%

अध्याय	मद	राजस्व परित्यक्त (रु. करोड़ में)		कारण
		2014-15	2015-16	
25	सीमेंट	8505	11399	ट्रैक्टर्स टैरिफ दर - 12.5% प्रभावी दर - शून्य सीमेंट टैरिफ दर - 1000 रु प्रति टन
17	चीनी	6449	5800	चालू कीमत पर प्रभावी दर - 650 रु प्रति चीनी टैरिफ दर 12.5% 71 रु प्रति क्विंटल पर प्रभावी दर लगभग 3.5%
31	उर्वरक	5447	6558	उर्वरक टैरिफ दर 12.5% प्रभावी दर 1%
	कुल	85246	114837	

2. उपर्युक्त सूची संकेतात्मक है और व्यापक नहीं। यदि इस सैद्धांतिक राजस्व प्रभाव को कुल राजस्व प्रभाव से हटाया जाता है तो वित्त वर्ष 2014-15 के संबंध में शेष प्रभाव 111543 करोड़ रु होता है और वित्त वर्ष 2015-16 के संबंध में अनुमानित राजस्व प्रभाव 110103 करोड़ रु होता है।

परिशिष्ट

उद्योगों में नमूना कंपनियों के अधिशुल्क और शिक्षा उपकर सहित प्रभावी कर दर
(वित्त वर्ष 2014-15) (नमूना आकार - 582889)

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर से पहले लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)
1	विनिर्माण उद्योग	कृषि आधारित उद्योग	15,658	14,001.66	3195.80	22.82
2	विनिर्माण उद्योग	मोटरगाड़ी और मोटरगाड़ी के पुर्जे	4,537	45,873.60	11814.23	25.75
3	विनिर्माण उद्योग	सीमेंट	668	9,907.28	893.04	9.01
4	विनिर्माण उद्योग	हीरा-तराश	446	2,510.29	694.72	27.67
5	विनिर्माण उद्योग	औषध और औषधीय	5,400	41,120.90	8381.83	20.38
6	कम्प्यूटर हार्डवेयर सहित इलेक्ट्रॉनिक		2,393	9,881.81	3167.58	32.05
7	विनिर्माण उद्योग	अभियांत्रिकी सामान	9,733	34,129.23	10050.25	29.45
8	विनिर्माण उद्योग	उर्वरक, रसायन, पेंट्स	3,791	20,878.70	5241.11	25.10
9	विनिर्माण उद्योग	आटा और चावल मीलें	1,532	756.07	230.26	30.46
10	विनिर्माण उद्योग	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां	3,159	10,221.91	3032.32	29.66
11	विनिर्माण उद्योग	संगमरमर और ग्रेनाइट	2,029	1,036.41	339.59	32.77
12	विनिर्माण उद्योग	कागज	1,359	1,703.81	295.40	17.34
13	विनिर्माण उद्योग	पेट्रोलियम एवं पेट्रोरसायन	664	92,573.66	17120.27	18.49
14	विनिर्माण उद्योग	विद्युत और ऊर्जा	5,140	50,215.26	7400.87	14.74
15	विनिर्माण उद्योग	मुद्रण एवं प्रकाशन	2,573	5,105.90	1502.82	29.43
16	विनिर्माण उद्योग	रबड़	912	894.54	288.48	32.25
17	विनिर्माण उद्योग	इस्पात	4,314	20,227.28	2438.40	12.06
18	विनिर्माण उद्योग	शर्करा	325	506.10	35.15	6.95
19	विनिर्माण उद्योग	चाय, कॉफी	1,027	1,350.91	300.73	22.26
20	विनिर्माण उद्योग	वस्त्र, हथकरघा, बिजली करघा	9,758	12,118.92	2682.08	22.13
21	विनिर्माण उद्योग	तम्बाकू	278	16,139.67	4426.89	27.43
22	विनिर्माण उद्योग	टायर	154	5,465.05	1429.14	26.15
23	विनिर्माण उद्योग	वनस्पति और खाद्य तेल	601	1,544.69	303.01	19.62
24	विनिर्माण उद्योग	अन्य	51,644	1,34,238.18	32175.85	23.97
25	व्यापार	श्रृंखला भंडार	690	973.35	311.44	32.00
26	व्यापार	खुदरा व्यापारी	15,930	5,583.21	1488.72	26.66
27	व्यापार	थोक व्यापारी	24,462	10,949.68	3431.62	31.34
28	व्यापार	अन्य	89,565	28,820.70	7243.91	25.13
29	आढ़तिये	सामान्य आढ़तिये	4,166	1,081.44	326.07	30.15
30	भवन निर्माता	भवन निर्माता	19,457	7,829.73	1905.84	24.34
31	भवन निर्माता	सम्पदा ऐजेंट	3,695	427.78	88.00	20.57
32	भवन निर्माता	सम्पत्ति विकासक	29,212	15,684.53	3438.91	21.93
33	भवन निर्माता	अन्य	21,151	4,260.55	840.77	19.73
34	ठेकेदार/संविदाकार	सिविल ठेकेदार	10,696	11,957.37	3362.10	28.12

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर से पहले लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)
35	ठेकेदार/संविदाकार	उत्पादशुल्क ठेकेदार	27	12.22	3.70	30.24
36	ठेकेदार/संविदाकार	वन ठेकेदार	8	0.49	0.19	37.84
37	ठेकेदार/संविदाकार	खनन ठेकेदार	887	6,197.00	869.06	14.02
38	ठेकेदार/संविदाकार	अन्य	11,187	6,262.53	1817.68	29.02
39	व्यावसायिक	सनदी लेखाकार, लेखा परीक्षा, आदि	82	7.18	2.41	33.62
40	व्यावसायिक	फैशन रूपांकक	99	21.83	5.37	24.58
41	व्यावसायिक	विधि संव्यावसायिक	318	26.16	8.05	30.77
42	व्यावसायिक	चिकित्सा संव्यावसायिक	1,690	302.46	88.02	29.10
43	व्यावसायिक	उपचर्या-गृह	1,026	232.93	76.43	32.81
44	व्यावसायिक	विशेष अस्पताल	1,254	1,409.31	426.09	30.23
45	व्यावसायिक	अन्य	5,696	1,291.54	426.74	33.04
46	सेवा क्षेत्र	विज्ञापन अभिकरण	2,996	2,009.84	657.30	32.70
47	सेवा क्षेत्र	सौंदर्य बैठकखाना	304	29.35	11.98	40.81
48	सेवा क्षेत्र	परामर्शदात्री सेवा	18,231	16,783.91	2665.24	15.88
49	सेवा क्षेत्र	कूरियर एजेंसी	517	458.19	185.66	40.52
50	सेवा क्षेत्र	कम्प्यूटर प्रशिक्षण/शैक्षिक तथा कोचिंग संस्थान	3,456	920.89	275.41	29.91
51	सेवा क्षेत्र	फोरक्स डीलर्स	871	282.56	94.85	33.57
52	सेवा क्षेत्र	सत्कार सेवाएं	4,833	1,337.25	411.14	30.75
53	सेवा क्षेत्र	होटल	6,763	2,279.74	571.15	25.05
54	सेवा क्षेत्र	आईटी समर्थित सेवाएं, बीपीओ सेवा प्रदाता	14,205	49,586.42	12512.13	25.23
55	सेवा क्षेत्र	सुरक्षा अभिकरण	1,992	777.95	269.51	34.64
56	सेवा क्षेत्र	सॉफ्टवेयर विकास अभिकरण	12,059	86,182.04	18584.70	21.56
57	सेवा क्षेत्र	परिवहन संचालनकर्ता	4,542	6,700.55	1512.93	22.58
58	सेवा क्षेत्र	यात्रा अभिकर्ता, दौरा संचालक	4,449	1,131.57	364.78	32.24
59	सेवा क्षेत्र	अन्य	68,212	96,191.92	22503.95	23.39
60	वित्तीय सेवा क्षेत्र	बैंक संबद्ध कंपनियां	250	1,32,975.81	46580.71	35.03
61	वित्तीय सेवा क्षेत्र	चिटफंड	2,660	491.02	157.33	32.04
62	वित्तीय सेवा क्षेत्र	वित्तीय संस्थान	480	17,601.37	4413.46	25.07
63	वित्तीय सेवा क्षेत्र	वित्तीय सेवा प्रदाता	2,552	10,939.79	2681.54	24.51
64	वित्तीय सेवा क्षेत्र	पट्टाधारी कंपनियां	513	2,106.54	32.29	1.53
65	वित्तीय सेवा क्षेत्र	साहूकार	336	99.05	20.45	20.64
66	वित्तीय सेवा क्षेत्र	गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां	8,668	61,621.35	16191.07	26.28
67	वित्तीय सेवा क्षेत्र	शेयर दलाल, उप-दलाल आदि	3,750	7,796.90	2269.16	29.10
68	वित्तीय सेवा क्षेत्र	अन्य	16,840	38,524.94	10449.77	27.12
69	मनोरंजन उद्योग	केबल टी वी उत्पादन	387	152.77	41.00	26.84
70	मनोरंजन उद्योग	फिल्म वितरण	342	1,319.96	445.44	33.75
71	मनोरंजन उद्योग	फिल्म प्रयोगशाला	36	3.16	0.84	26.64
72	मनोरंजन उद्योग	चलचित्र निर्माता	653	266.54	77.35	29.02
73	मनोरंजन उद्योग	दूरदर्शन चैनल	390	2,600.08	875.21	33.66
74	मनोरंजन उद्योग	अन्य	4,050	2,270.66	603.63	26.58
75	अन्य	अन्य	28,159	29,481.65	9143.97	31.02
	जोड़		5,82,889	12,08,658	298205	24.67